

गुरु घासीदासविश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 क्र.25 अंतर्गतस्थापितकेन्द्रीय विश्वविद्यालय
कोनी, बिलासपुर-495009 (छ.ग.)
दूरभाष : 07752-260209, फ़ैक्स : 07752-260154
ई-मेल : ggvr.registrar@gmail.com, वेबसाईट : www.ggu.ac.in



Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University Established under the Central Universities Act, 2009 No.25 of 2009)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
E-Mail : ggvr.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 09 / बै.प्र. / सभा / 2023

बिलासपुर, दिनांक : 07-01-2024

कार्यालयीय ज्ञाप

इस कार्यलय की अधिसूचना क्रमांक 293/सभा/बै.प्र./2022 बिलासपुर दिनांक 11.05.2022 की निरंतरता में, केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 10(5)(ii)(6) (संशोधित) के प्रावधानानुसार विश्वविद्यालय सभा में निम्नानुसार सदस्य का नामांकन किया जाता है :-

1. 10(5)(ii)(6) वित्ताधिकारी

1. वित्ताधिकारी — प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव, आचार्य
इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विभाग
के स्थान पर
प्रो० बुद्धेश्वर प्रसाद सिंगरौल, आचार्य
वाणिज्य विभाग

इस श्रेणी के अंतर्गत उपरोक्त सदस्य का कार्यकाल पदेन पद अथवा विश्वविद्यालय सभा के कार्यकाल जो भी पहले हो के साथ समाप्त होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ० क्रमांक 10 / बै.प्र. / सभा / 2023

बिलासपुर, दिनांक : 07-01-2024

प्रतिलिपि :-

01. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक की ओर कुलपति महोदय/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ प्रेषित।
02. विश्वविद्यालय सभा के समस्त सम्माननीय सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. संबंधितों को सूचनार्थ प्रेषित।
04. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलसचिव (कार्यवाहक)